प्रकरण आज कैम्प कोर्ट कनकारा में पेश हुई।
प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण ग्राम
दीपपुरा के भूमि ख०नं० 484, 487/2, 693/484
की सीमाओं पर सीधे ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं
उक्त वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन हो चुका है।
लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 ने अपनी खातेदारी
भूमि का विधिवत सीमाज्ञान नहीं करवाया है। नियमानुसार
एक रिकार्ड खातेदार को पत्थरगढ़ी करवाने से पूर्व अपनी
खातेदारी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है
उक्त विवेचन के वादी का भू.रा.अ. धारा 128 आधारहीन
होने से खारिज किया जाता है।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.18 को कैम्प कोर्ट कनकारा
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner